



2026:AHC: 18464-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 35/2026

ज्ञानप्रकाश उर्फ दशरथ

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नीलाभ श्रीवास्तव, विजय कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

यह धारा 413 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पीड़ित की एक अपील है, जो अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, वाराणसी द्वारा सत्र विचारण संख्या - 145 वर्ष 2014 (राज्य बनाम जय प्रकाश पासी), जो थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी के मुकदमा अपराध संख्या - 06 वर्ष 2014, धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत उद्भूत है, और सत्र विचारण संख्या - 171 वर्ष 2014 (राज्य बनाम जय प्रकाश पासी), जो थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी के मुकदमा अपराध संख्या - 07 वर्ष 2014, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत है, में पारित दोषमुक्ति के निर्णय दिनांक 17.10.2025 के विरुद्ध दायर किया गया है।

दिनांक 08.01.2014 को सुबह 7:10 बजे, जय प्रकाश उर्फ दशरथ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या - 6 वर्ष 2014 पंजीकृत कराते हुए, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिनांक 08.01.2014 को सुबह 6 बजे, जब सूचनादाता अपने कृषि खेत पर गया, तो उसने अपने पिता वंश राज पटेल, जिनकी आयु लगभग 70 वर्ष थी, का खून से लथपथ शव देखा। सूचनादाता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा कि उसे विश्वास है कि उसके पिता की हत्या जय प्रकाश पासी और चुन्नू पासी द्वारा की गई थी, जिनके साथ उनकी पहले से रंजिश थी, और चार से पाँच साल पहले, पक्षों के बीच सूचनादाता की फसलों को हुए नुकसान के संबंध में कुछ विवाद हुआ था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियोजन का यह वाद है कि तत्पश्चात अभियुक्त जय प्रकाश पासी और चुन्नू पासी के इकबालिया बयान पर, दिनांक 10.01.2014 को अभियुक्त के इकबालिया बयान और उसकी निशानदेही पर एक गंडासा (गुप्ती) बरामद किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या - 7 वर्ष 2014 पंजीकृत किया गया था।

शव का पंचायतनामा किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर सात चोटें दर्ज हैं, जिनमें से छह विभिन्न आयामों के विदीर्ण घाव थे। मुकदमा अपराध संख्या - 6 वर्ष 2014 और मुकदमा अपराध संख्या - 7 वर्ष 2014 में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। वाद विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया और अभियुक्त जय प्रकाश पासी और चुन्नू पासी के विरुद्ध धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत सत्र विचारण संख्या - 145 वर्ष 2014 और जय प्रकाश पासी के विरुद्ध धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत सत्र विचारण संख्या - 171 वर्ष 2014 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया। विचारण के दौरान, चुन्नू पासी की मृत्यु हो गई और सत्र विचारण संख्या - 145 वर्ष 2014 को चुन्नू पासी के विरुद्ध उपशमित घोषित कर दिया गया। विचारण के दौरान, अभियोजन ने 12 साक्षीगण को परीक्षित किया। अभियोजन द्वारा परीक्षित पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 तथ्य के साक्षी थे। पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 पंचायतनामा के भी साक्षी थे। पी.डब्ल्यू.-8 वह डॉक्टर थे, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था। पी.डब्ल्यू.-9 और पी.डब्ल्यू.-10 के साथ-साथ पी.डब्ल्यू.-12 इस वाद में विवेचना अधिकारी थे।

अपनी गवाही में, पी.डब्ल्यू.-1 ने एफ.आई.आर. के संस्करण को दोहराया और पक्षों के बीच पहले की रंजिश से संबंधित तथ्य भी बताए, जिससे पता चला कि पक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध मुकदमेबाजी में थे।

पी.डब्ल्यू.-2 मृतक का भतीजा है। अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.-2 का परीक्षण यह सिद्ध करने के लिए किया गया था कि अभियुक्तों को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था। अपने साक्ष्य में, पी.डब्ल्यू.-2 ने कहा कि मृतक ट्यूबवेल पर सोया करता था और खेत की रखवाली करता था। दिनांक 07.01.2014 को, जब रात 11 बजे से 12 बजे के बीच, पी.डब्ल्यू.-2 अपने भाई उमाशंकर पटेल के साथ खेत की रखवाली करने जा रहा था, तो उन्होंने अभियुक्तों को जल्दी-जल्दी अपने घर जाते देखा और जब वे सुबह जागे, तो उन्हें पता चला कि वंश राज पटेल, अर्थात् मृतक की हत्या कर दी गई थी। साक्षी ने कहा कि उसे विश्वास है कि अभियुक्त उसके पिता की हत्या करने अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के बाद मौके से भाग रहे थे। यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपरोक्त तथ्य शामिल नहीं है। अपनी गवाही में, साक्षी ने सुबह सूचनादाता से न मिलने और उसे उपरोक्त घटना के बारे में न बताने की बात कहकर उक्त तथ्य को स्पष्ट किया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पी.डब्ल्यू.-2 मृतक का भतीजा है। अपने निर्णय में, विचारण न्यायालय ने उल्लेख किया है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार, साक्षी और मृतक का परिवार एक संयुक्त परिवार था, इसलिए, घटना के बारे में सूचनादाता को न बताने वाले साक्षी के आचरण ने साक्षी की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा किया। जब साक्षी का उसकी प्रति-परीक्षा में उपरोक्त के साथ सामना कराया गया, तो साक्षी ने कहा कि वह डरा हुआ था क्योंकि अभियुक्तों ने एक और हत्या की थी। स्पष्ट रूप से, घटना के बारे में सूचनादाता को सूचित करने में अपनी विफलता के संबंध में अभियुक्त के स्पष्टीकरण विरोधाभासी हैं। पी.डब्ल्यू.-2 पंचायतनामा का भी साक्षी है। यह अविश्वसनीय है कि साक्षी ने 07.01.2014 की रात को जो देखा उसके बारे में किसी को नहीं बताया होगा।

उमाशंकर, जो पी.डब्ल्यू.-2 का भाई है, का अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.-5 के रूप में परीक्षण किया गया था। अपनी गवाही में, पी.डब्ल्यू.-5 ने कहा कि दिनांक 07.01.2014 को रात 11 बजे वह अपने घर पर सो रहा था और वह यह नहीं कह सकता कि उसके पिता की हत्या दिनांक 07.01.2024 या 08.01.2014 की रात को हुई थी। पी.डब्ल्यू.-5 का उपरोक्त साक्ष्य पी.डब्ल्यू.-2 की गवाही का खंडन करता है। अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.-5 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था और अभियोजन को पी.डब्ल्यू.-5 की प्रति-परीक्षा करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, अभियोजन अपनी प्रति-परीक्षा में साक्षी से कोई विश्वसनीय जानकारी निकालने में विफल रहा।

जहाँ तक गंडासे की बरामदगी का संबंध है, फर्द बरामदगी तैयार की गई थी, लेकिन उक्त बरामदगी को विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया है कि विवेचना अधिकारी द्वारा कोई प्रकटीकरण कथन दर्ज नहीं किया गया था और अभिलेख पर कोई प्रकटीकरण कथन नहीं लाया गया था। केवल एक फर्द बरामदगी तैयार की गई थी। उपरोक्त के दृष्टिगत, अपराध में कथित रूप से प्रयुक्त हथियार की बरामदगी साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं थी। इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया है कि बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था, भले ही विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नक्शा नजरी से पता चला कि उस स्थान के पास आबादी थी, जहाँ से हथियार कथित तौर पर बरामद किया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपनी प्रति-परीक्षा में, पी.डब्ल्यू.-7 जो मुकदमा अपराध संख्या - 6 वर्ष 2014 के विवेचना अधिकारी थे, ने कहा कि उनके सामने हथियार पेश नहीं किया गया था। गंडासा, अर्थात् वह हथियार जिसका कथित रूप से अपराध में उपयोग किया गया था, उसे उस डॉक्टर को भी नहीं दिखाया गया था, जिसने शव का पोस्टमार्टम किया था और जिसका अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.-8 के रूप में परीक्षण किया गया था, ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि मृतक के शरीर पर चोटें अभियोजन द्वारा कथित रूप से बरामद हथियार से कारित हो सकती थीं। इसके अलावा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा हथियार पर कोई मानव रक्त नहीं पाया गया था, जहाँ हथियार को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था।

अभियोजन का वाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के वाद में, उद्देश्य एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे अभियोजन द्वारा सिद्ध किया जाना होता है। विचारण न्यायालय के निर्णय से यह सामने आता है कि अभियोजन मृतक की हत्या करने के लिए अभियुक्तों में किसी भी उद्देश्य को सिद्ध करने में सक्षम नहीं था और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य अभियुक्तों के दोष के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था।

यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध अपने वाद को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा। विचारण न्यायालय ने अभियोजन के वाद में उपरोक्त कमियों को नोट किया और परिणामस्वरूप अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

हमें विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई विकृति या अवैधता नहीं मिली है। अपील में उठाए गए आधार, हमें विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के स्थान पर अपनी राय प्रतिस्थापित करने के लिए राजी नहीं करते हैं।

अपील में गुण-दोष का अभाव है और प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किए बिना, इसे संक्षिप्त रूप से **खारिज** किया जाता है।

वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद पत्रावली को अभिलेखागार में संचित किया जाए।

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

27 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विपाशा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।